न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण स0 — 101/2022

अनवान : —

1. राजेश पुत्र महावीर जाति नायक साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।

—**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 218/224 की कुल 15.176है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजेश पुत्र महावीर है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैनकार्ड तथा प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत देईदास आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सही नाम तस्लीम कर लेवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर के पत्रांक 2202 दिनांक 21.02.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम पप्पू उर्फ राजेश दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में नाम राजेश पुत्र महावीर है। खाते पर कोई स्थगन विवाद नही है नाम संशोधन के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है। प्रार्थी राजेश पुत्र महावीर व गवाह पोकरराम पुत्र बस्तीराम ने अपने बयान न्यायालय मे उपस्थित होकर तस्दीक करवाये की पप्पू व राजेश एक ही व्यक्ति के नाम है। प[illegible] राजेश के स्थान पर राजेश किया जावे। अगर नाम संशोधन के संबंध में को[illegible] जिम्मेदारी हमारी होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम राजेश पुत्र महावीर दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 218/224 की कुल 15.176है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर के स्थान पर राजेश पुत्र महावीर दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड तथा प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत देईदास आदि में सही नाम राजेश पुत्र महावीर अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम सही करने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की अभिशंषा की गई है। पोकरराम पुत्र बस्तीराम के बयान व प्रस्तुत शपथ पत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत देईदास द्वारा नाम के संबंध में प्रस्तुत तस्दीक के आधार पर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 218/224 की कुल 15.176है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **प्रार्थी पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर जाति नायक साकिन ढाणी लालखां के स्थान पर सही नाम राजेश पुत्र महावीर जाति नायक साकिन ढाणी लालखां किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : सशोधन / 2023 / 1429 दिनांक : 29/12/23

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 101 / 2022 अनवानी राजेश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 101 / 2022
अनवान : —

1. राजेश पुत्र महावीर जाति नायक साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 218 / 224 की कुल 15.176है0 भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **प्रार्थी पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर जाति नायक साकिन ढाणी लालखां के स्थान पर सही नाम राजेश पुत्र महावीर जाति नायक साकिन ढाणी लालखां किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम पप्पु उर्फ राजेश पुत्र महावीर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested